EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 863–867

Dated 12-4-2003

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(सीमा सड़क विकास मंडल)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2003

सा.का.नि. 157.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा सड़क संगठन (हिन्दी अधिकारी ''बी'' केन्द्रीय सिविल पद) भर्ती नियम, 1982 का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सड़क संगठन (हिन्दी अधिकारी ग्रुप ''ख'' केन्द्रीय सिविल पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2002 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सीमा सड़क संगठन (हिन्दी अधिकारी ग्रुप ''ख'' केन्द्रीय सिविल पद) भर्ती नियम, 1982 की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गये वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
हिन्दी अधिकारी	02* 3 (2003) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित अननुसचिवीय	6500–200–10500 रु. PB2 Rs 9300-34800 plus G/P Rs 4600/- Rs. 4600/-	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
11	12
50% प्रोन्नति द्वारा और 50% प्रतिनियुक्ति द्वारा 66.66% 33.33%	प्रोन्नति : ऐसा हिन्दी अनुवादक जिसने 5500–175–9000 रु. के वेतनमान में उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की हो। PB-2 Rs 9300-34800 plus GP Rs 4200/- टिप्पण :— जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ

व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

प्रतिनियुक्ति :— केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी –

(क) (i) मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

PB2 Rs 9300-34800+GP-4200

(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 5500–175–9000 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन नियमित वर्ष सेवा कर चुके हैं; या

(iii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 5500–150–8000 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा कर चुके हैं; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :—

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में मास्टर की डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक विषय के रूप में रहा हो।

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर की डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिन्दी एक विषय के रूप में रहा हो।

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में मास्टर की डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी विषय के रूप में रहे हों।

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी माध्यम से किसी भी विषय में मास्टर की डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी विषय के रूप में रहा हो।

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से किसी भी विषय में मास्टर की डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिन्दी विषय के रूप में रहा हो।

(ii) हिन्दी में पारिभाषिक शब्दावली कार्य का और/या अंग्रेजी से हिंदी या हिन्दी से अंग्रेजी में विशेषकर तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य का अनुवाद कार्य का पांच वर्ष का अनुभव। या

हिन्दी में अध्यापन, अनुसंधान लेखन या पत्रकारिता का पांच वर्ष का अनुभव।

वांछनीय :

(i) संस्कृत और/या किसी आधुनिक भारतीय भाषा का ज्ञान।

(ii) प्रशासनिक अनुभव।

(iii) टिप्पण और प्रारूपण के लिए हिंदी कक्षाएं या कार्यशालाएं आयोजित करने का अनुभव।

टिप्पण :

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।